संख्या-73/2019/1360/सैंतीस-2-2019-1(28)/12टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-22 मई, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20वीं पशुगणना कार्यक्रम (100 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-67/491(122/7)/20वीं पशुगणना, दिनांक-16.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0105-20वीं पशुगणना कार्यक्रम (के.100/रा.0-के.) के मानक मद 42-अन्य व्यय में रू0-55.34 लाख (रूपये पचपन लाख चौंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) वर्तमान में प्रदेश में चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। अतः निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दिशा-निर्देशों का किसी भी दशा में कोई उल्लंघन न हो।

(3) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि को आहरित कर पी.एल.ए., बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(6) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(7) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-113-प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0105-20वीं पशुगणना कार्यक्रम (के.100/रा.0-के.)-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-73/2019/1360(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सलाहकार (सांख्यिकीय), भारत सरकार, पशुपालन, दुग्ध और मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, दिल्ली मिल्क स्कीम काम्प्लेक्स, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली-110008 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in